राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2006 / 511 / भरतपुर

1– खरगसिंह
2– हीरा सिंह
} पुत्रान श्री मोहर सिंह

3– तेजसिंह पुत्र ग्यासी

4– होशियारसिंह पुत्र फत्तेसिंह

5– गोपी पुत्र छोटे

समस्त जाति फोजदार निवासी ग्राम जाटोली धून तहसील डीग जिला भरतपुर।

....**अपीलांट्स**

बनाम

1– देवी सिंह
2– कपूर
3– तेज सिंह
} पुत्रान निहालसिंह

4– भाविक
5– बच्चू
6– अर्जुन
} पुत्रान हरचंद

7– उदयसिंह
8– साहबसिंह
} पुत्रान रामचन्द

9– करनसिंह
10– अतरसिंह
11– प्रहलादसिंह
12– जलसिंह
} पुत्रान भमर सिंह

13– थानसिंह पुत्र हुकमसिंह

14– कल्याणसिंह पुत्र हुकमसिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम जाटोली थून तहसील डीग जिला भरतपुर।

15– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग जिला भरतपुर।

16— बहादुरसिंह पुत्र श्री हरचंद जाति जाट निवासी ग्राम जाटोली थून तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :—
श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री वैभवकृष्ण पारीक, ब्रीफ होल्डर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय

दिनांकः 29 जनवरी, 2020

1— यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा—224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—1—2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 देवीसिंह आदि ने राजस्व वादपत्र प्रतिवादीगण/ अपीलान्ट्स खरगसिंह आदि के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम जाटोली थून तहसील डीग में स्थित वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1576 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2422 रकबा 1.02 हैक्टेयर बनाए गए हैं जिस पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण/ अपीलान्ट्स के खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जावे। उक्त वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादीगण/ अपीलान्टस ने पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 2422 उनकी पुश्तैनी कब्जा

काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है इसलिए वाद पत्र को खारिज किया जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–1–2003 के द्वारा वादपत्र को स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स/ प्रतिवादीगण ने धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के न्यायलय में प्रस्तुत की जिसे अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–1–2006 के द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 13–1–2003 व 20–1–2006 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रेकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय हैं। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर–1577 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा से ही नए खसरा नम्बर–2415, 2421 एवं 2422 बनाए गए है तथा इन नए खसरा नम्बरान की भूमि से ही पुराने खसरा नम्बर 1577 के सम्पूर्ण रकबा की पूर्ति होती है तथा पुराने एवं हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से भी उक्त तथ्य साबित हो जाता है तथा वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर–2422 अपीलान्ट्स की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। वादीगण/रेस्पो0 का उक्त आराजी से कोई सरोकार एवं संबंध कभी भी नहीं रहा है तथा वादीगण/रेस्पो0 का आज दिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त भी नहीं रहा है इस कारण वादीगण को वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर–2422 रकबा 1.02 हैक्टेयर पर कानूनन कब्जा नहीं होने से खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअन्दाज करके दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादपत्र को स्वीकार करने बाबत निर्णय प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–1–2006 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–1–2003 को निरस्त की जाकर वादपत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ने कथन किया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट्स विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। प्रकरण में सेटेलमेंट से पूर्व के अभिलेख में खसरा संख्या 1576 का वादी खातेदार कृषक अभिलिखित थे, किन्तु सेटलमेंट विभाग ने सरसरे प्रार्थना पत्र पर और अस्पष्ट आदेश द्वारा विवादित आराजी पर प्रतिवादी/अपीलान्ट्स का नाम अंकित कर दिया जिसका कोई औचित्य एवं विधि मान्यता नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने आगे अपने कथन में तर्क दिया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट्स विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग हाल के मुताबिक खाता संख्या 1576 में हाल खसरा नम्बर 2422 बनाया गया है जो कि साबिक खसरा नम्बर वादीगण के नाम ही था। इसलिए वादी विवादग्रस्त आराजी का अधिकारी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7– उभय पक्षों की बहस व अभिलेख के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि खसरा नंबर 2422 जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत्

वाद प्रस्तुत किया है, का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 1576 था और प्रदर्श–2 जमाबंदी, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है, के मुताबिक उक्त खसरा नंबर 1576 निहाल, हरचन्द व रामचन्द पिसरान मंगल बहिस्सा बराबर 1/3 उमर पुत्र गणेश 1/3, हुकमचन्द 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज हैं अर्थात प्रत्यर्थी/वादीगण विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार हैं और भू प्रबंधन के दौरान केवल मात्र कब्जे के आधार पर ए.एस.ओ. के द्वारा प्रतिवादी के नाम उक्त आराजियात दर्ज कर दी गई है। इस संबंध में विधि स्पष्ट है कि भू–प्रबंधन को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राजात में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

8– पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजात व उभय पक्षों की बहस व विधि के प्रावधानों व न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन कर विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया और जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई भी आधार प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–01–2006 की पुष्टि की जाती है।

10– इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य